भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 164
बुधवार, 24 जुलाई, 2024 (श्रावण 2, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

व्यापार की सुगमता

164 डा. सिकंदर कुमारः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश राज्य में सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार की सुगमता' के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है**;**

(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) देश भर में सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार की सुगमता' बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): राज्य स्तर की सहकारी समितियां संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी सोसाइटी अधिनियमों द्वारा प्रशासित होती हैं अत:**,** हिमाचल प्रदेश राज्य की सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियों के संबंध में व्यापार की सुगमता लाना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । तथापि**,** राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में निहित सभी सांविधिक प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत करने हेतु एकीकृत डिजिटल पोर्टल के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 30/01/2024 को "राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण" की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना का शुभारंभ किया है । इस परियोजना का लक्ष्य संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए व्यापार की सुगमता में वृद्धि करना और पारदर्शी व कागज-रहित प्रणाली के लिए एक डिजिटल परितंत्र का निर्माण करना है और इस परियोजना का कार्यान्वयन जारी है ।

उपरोक्त के अलावा**,** "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों की कंप्यूटरीकरण" की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में 870 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 16.88 करोड़ रुपए तथा "कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण" की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के तहत 88 कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण के लिए लगभग 56.10 लाख रुपए जारी किए गए हैं ।

(ग): सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में सहकारिता के क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों की व्यापार में सुगमता हेतु अनेक पहल किए गए हैं जैसे "राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का

कंप्यूटरीकरण", "कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण", प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन । इन पहलों का सार निम्नानुसार है:

i) **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण**: संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंजीकृत सहकारी समितियों की व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने और पारदर्शी व कागज-रहित प्रणाली के लिए एक डिजिटल परितंत्र का निर्माण करने हेतु, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में निहित सभी सांविधिक प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत करने के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल के विकास हेतु सहकारिता मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 30/01/2024 को 94.59 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से "राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण" की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना का शुभारंभ किया है । आज तक 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं और 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधि की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है । इस परियोजना में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण व अद्यतन, आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है ।

ii) **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण**: कार्यकुशलता में सुधार, लेखांकन आचरण और ऋण देने, वसूली और संसाधन जुटाने में अनुपालन की जाने वाली प्रणालियों की प्रमुख पहलों में एकरूपता लाने और उनके व्यवसाय विस्तारण में मदद के लिए भारत सरकार ने 119.40 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के 1,851 इकाइयों को, उनकी शाखाओं और पर्यवेक्षी इकाइयों सहित, कंप्यूटरीकृत करने की परियोजना को अनुमोदित किया है ।

परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना पर 119.40 करोड़ रुपए के व्यय को भारत सरकार, राज्य सरकार और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा साझा किया जाएगा । हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और परियोजना के अधीन सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों में विहित अनुपात में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार का हिस्सा प्रदान किया जाएगा । यह नोट करने योग्य है कि हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कुल व्यय के 25% का वहन कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा किया जाएगा । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपने-अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे । वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार का हिस्सा जारी किया गया है ।

iii) **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण**: पैक्स को सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है ।

अब तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 67,009 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिसके लिए भारत सरकार के हिस्से की 654.22 करोड़ रुपए की राशि संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर के कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास नाबार्ड द्वारा किया

गया है और अब तक 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 25,461 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है । स्वीकृत पैक्स और जारी की गई भारत सरकार के हिस्से की निधि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर संलग्न है।

इस परियोजना के अंतर्गत पैक्स स्तर पर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट प्रबंधन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स के शासन और पारदर्शिता में सुधार आएगा जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण होगा**,** लेनदेन लागत घटेगी**,** भुगतान के असंतुलन में कमी आएगी**,** जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन होगा और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी । इससे पैक्स के कार्यकरण के प्रति किसानों के बीच विश्वसनीयता में वृद्धि होगी जो "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देगा ।

iv) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियां केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं । बहुराज्य सहकारी समतियों में व्यापार की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियम, 2002 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 के माध्यम से पिछले वर्ष यथोचित रूप से संशोधित किया गया और जिन्हें क्रमश: 03.08.2023 और 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया । इस संशोधन का लक्ष्य मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को सशक्त करना**,** पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना तथा निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाना**,** इत्यादि है और सतानेवां (97th) संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करना है ।

उपर्युक्त संशोधन द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों में व्यापार की सुगमता के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं**,** जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्निखित शामिल हैं:

i. डिजिटल स्वरूप में आवेदन, रिटर्न्स, रिपोर्ट, विवरणियां, लेखा विवरणी, दर्ज करने को अपेक्षित रजिस्टर या कोई अन्य विवरणी या दस्तावेज, तामिल या सुपूर्द करने को अपेक्षित नोटिस, कोई संप्रेषण या सूचना, पंजीकरण प्रमाणपत्र का जारीकरण और उपविधियों में संशोधन, शुल्क, इत्यादि जमा करने के उपबंध किए गए है । इससे कागज-रहित प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यापार की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा ।

ii. बहुराज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण की अवधि को 4 महीने से कम करके 3 महीना कर दिया गया है जिसके साथ आवेदक को कमियों में सुधार करने के लिए उसके अनुरोध पर समय-सीमा में 2 महीने का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा । इससे पंजीकरण में शीघ्रता और सुविधा होगी ।

iii. बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध**,** नियमित और पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है ।

iv. पूंजी जुटाने में बहुराज्य सहकारी समितियों की सहायता हेतु गैर-मतदान वाले शेयर का प्रावधान किया गया है ।

v. सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करने और औपनिवेशिक युग की प्रतिभूतियों को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा निधि निवेश के प्रावधान किए गए हैं ।

vi. सहकारी समितियों के संबंधित पंजीयक के आदेश की आवश्यकता के बिना ही राज्य अधिनियम के अधीन की समिति का बहुराज्य सहकारी समिति में रूपांतरित होने पर उस समिति के मानित विपंजीकरण के प्रावधान किए गए हैं जिससे ऐसे मामलों में प्रोसेसिंग समय को घटाया जा सकेगा ।

इसके साथ ही बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 में सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम हेतु अनेक उपबंध किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. सदस्यों के शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ।

ii. पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ।

iii. 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर/जमाराशि वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से कॉनकरंट संपरीक्षण कराने का प्रावधान किया गया है । कॉनकरंट संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितता, यदि कोई हो, का शीघ्र पता लग सकेगा और तदनुसार, त्वरित सुधार किया जा सकेगा । वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बहराज्य सहकारी समितियों हेतु संपरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं:

   1) सांविधिक संपरीक्षण के लिए पांच सौ करोड़ रुपए तक की वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों का पैनल ।

   2) सांविधिक और कॉनकरंट संपरीक्षण के लिए पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों का पैनल ।

iv. पारदर्शिता में सुधार के लिए एपेक्स बहुराज्य सहकारी समितियों की संपरीक्षण रिपोर्ट संसद में रखी जाएंगी ।

v. लेखांकन और संपरीक्षण में एकरूपता के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखांकन और संपरीक्षण मानदंड का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

vi. शासन और पारदर्शिता में सुधार के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के ऐसे निर्णय शामिल किए जाएंगे जो सर्वसम्मत नहीं हैं ।

vii. थ्रिफ्ट और क्रेडिट के कारोबार वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विवेकपूर्ण मानदंड (लिक्विडिटी, जोखिम, आदि) का निर्धारण किया जाएगा ।

viii. बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात की रोकथाम के लिए बहुराज्य सहकारी समिति का कोई निदेशक उन चर्चा में उपस्थित नहीं होगा और उन विषयों पर मतदान नहीं करेगा जहां वह या उसका कोई परिजन हितबद्ध पक्ष हो ।

ix. शासन में सुधार, बकाए की बेहतर वसूली और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोप और करण त्रुटि या धोखाधड़ी के कृत्यों की कहीं और पुनरावृत्ति न हो सके, निदेशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं ।

x. बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड द्वारा बेहतर वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए अन्य समितियों के गठन के साथ-साथ संपरीक्षण और सदाचार समिति का गठन किया जाएगा ।

xi. शासन सशक्तिकरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की शर्तों का निर्धारण किया गया है।

xii. बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णयन के लिए बोर्ड की बैठकों हेतु गणपूर्ति का निर्धारण किया गया है ।

xiii. कपटपूर्ण रीति या गैरकानूनी प्रयोजन से कारबार चलाने की सूचना की प्राप्ति पर केंद्रीय पंजीयक द्वारा जांच कराया जा सकेगा ।

xiv. मिथ्या प्रस्तुति, धोखाधड़ी, आदि द्वारा प्राप्त पंजीकरण की दशा में सुनवाई का अवसर देने के उपरांत बहुराज्य सहकारी समिति के परिसमापन का प्रावधान किया गया है ।

xv. बहुराज्य सहकारी समितियों के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए सदस्यों को हतोत्साहित करने हेतु बहुराज्य सहकारी समिति के किसी निष्कासित सदस्य के निष्कासन की न्यूनतम अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है ।

xvi. समिति के संसाधानों से केवल कुछ ही सदस्यों को लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति के सदस्यों या उनके परिजनों द्वारा धारित अधिसंख्य इक्विटी शेयर वाले संस्थानों को एक अनुषंगी संस्थान नहीं माना जाएगा ।

*****

अनुबंध

पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना			
क्रम सं.	**राज्य**	**अनुमोदित पैक्स की संख्या**	**जारी किया गया भारत सरकार का हिस्सा (रुपए)**
1	आंध्र प्रदेश	2037	186,747,271
2	अरुणाचल प्रदेश	14	2,700,000
3	असम	583	88,625,000
4	बिहार	4495	329,500,000
5	छत्तीसगढ़	2028	148,600,000
6	गोवा	58	4,450,000
7	हरियाणा	710	72,916,000
8	हिमाचल प्रदेश	870	168,800,000
9	झारंखंड	1500	109,900,000
10	कर्नाटक	5491	556,400,000
11	मध्य प्रदेश	4534	586,525,000
12	महाराष्ट्र	12000	1,215,950,000
13	मणिपुर	232	25,500,000
14	मेघालय	112	12,300,000
15	मिज़ोरम	25	2,700,000
16	नागालैंड	231	28,168,555
17	पंजाब	3482	255,200,000
18	राजस्थान	6781	670,786,131
19	सिक्किम	107	20,800,000
20	तमिलनाडु	4532	456,820,000
21	त्रिपुरा	268	55,915,354
22	उत्तर प्रदेश	5686	535,841,650
23	पश्चिम बंगाल	4167	305,400,000
24	उत्तराखंड	670	36,874,057
25	गुजरात	5754	583,000,000
26	जम्मू और कश्मीर	537	67,678,040
27	पुड्डुचेरी	45	6,075,000
28	अंडमान और निकोबार	46	6,881,462
29	लद्दाख	10	1,200,000
30	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	-
कुल		67009	6,542,253,520

*****